

राज्य में आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत वर्ष 1980 में कम्प्यूटर निदेश तय का गठन किया गया था। निदेशालय के गठन के पश्चात् अपराध अभिलेखों के कम्प्यूटर कोड बुक तथा इनपुट प्रपत्रों को राज्य के सभी थानों में तही प्रचिष्टियों भेजने के लिए वितरित किया गया। कोडबुक के आधार पर इनपुट प्रपत्रों में सुचना संकलित करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रायः सभी जिला मुख्यालयों में इस उद्देश्य के कराया गया कि सभी थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्त्ता तथा अन्य वरीय पदाधिकारी इनपुट प्रपत्रों को भरने का सहजिज्ञान प्राप्त कर सकें।

विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रपत्रों की समीक्षा से पता चलता है कि इस दिशा में प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है और किसी भी जिले से नियमित रूप से प्रपत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिसके कारण डेटा बैंक का निर्माण भी अपूर्ण है। केन्द्रीय सरकार के वरीय प्रतिनिधि मण्डल ने भी समीक्षा के क्रम में इस स्थिति पर विवक्षित की है और इसका प्रभाव जहाँ राज्य से आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सहायता पर पड़ने की सम्भावना है वहीं राज्य की विधि-व्यवस्था तथा अपराध स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए निम्नांकित कार्रवाईयों का आदेश दिया जाता है :-

1. दिनांक 30.9.86 को आधार मानकर गत 10 वर्षों के सम्पत्ति के विस्तृत अपराधों के संदर्भ में इनपुट फॉर्म भरने की कार्रवाई सभी जिलों में की जाय। यह प्रक्रिया पहले 1986 वर्ष, उसके बाद 1985 वर्ष और इसी प्रकार दिनांक 30.9.76 तक के अपराधों के लिए अभियान के तौर पर चलायी जाय।

2. दिनांक 30.9.86 के बाद प्रतिवेदित काण्डों के सम्बन्ध में अन्तिम प्रपत्र समर्पित करने के समय अनुसंधानकर्त्ता/थाना प्रभारी द्वारा इनपुट प्रपत्रों को भरकर डी०सी०बी० में भेज दिया जायेगा। डी०सी०बी० के पदाधिकारी इन प्रपत्रों की त्रुटियों की जाँच करेंगे और आरक्षी अधीक्षक की मासिक अपराध गोष्ठि में अन्तिम प्रपत्र समर्पित काण्डों और उनसे संबंधित इनपुट प्रपत्रों को भरने की स्थिति से आरक्षी अधीक्षक को अवगत करायेगे। आरक्षी अधीक्षक दोषी अनुसंधानकर्त्ताओं/थाना प्रभारियों के विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक गत माह में समर्पित इनपुट प्रपत्रों को आरक्षी महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, कम्प्यूटर एवं आधुनिकीकरण बिहार पटना को भेजेंगे। इस पूर्ण कार्रवाई के समुचित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी डी०सी०बी० के पदाधिकारियों पर रहेगी।

3. राज्य मुख्यालय से टास्क फोर्स का गठन कर क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, जो अपनी देख-रेख में इस टास्क फोर्स को जिला के पदाधिकारियों के सरियर इनपुट प्रपत्र भरने, प्रशिक्षण तथा लोग बुक पूरा करने की

दिशा में कार्यवाही करायेगी। ये पदाधिकारी प्रत्येक माह अपनी कार्य विवरणी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक के माध्यम से महानिरीक्षक कम्प्यूटर को भेजेंगे।

4. थानों में थाना लेखक के पद को उत्कृष्ट कर 100310नि0 के स्तर में वृद्धि किया गया था। पुराने काण्ड के इनपुट प्रपत्र भरने के लिए इन पदाधिकारियों का प्रयोग मुख्य स्तर से किया जायेगा।

5. आरक्षी निरीक्षक के खतियान में एक लंडिका इनपुट प्रपत्र के संबंध में खोली जायेगी जिसे काण्ड के अन्तिम प्रपत्र समर्पित करने के समय आरक्षी निरीक्षक या भी सूचना अंकित करेंगे कि इनपुट प्रपत्र समर्पित किया गया है अथवा नहीं।

6. आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी उप-महानिरीक्षक तथा क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक थानों के निरीक्षण के क्रम में इनपुट प्रपत्र भरकर भेजने के कार्यों की प्रगति का विशेष स्तर में जांचा करे और इस कार्य में रुचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों को अपने स्तर से हटाया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निरन्तर तुधार के अन्तर्गत दिये जाने वाले न्यून भी जो पदाधिकारी इस कार्य में रुचि नहीं लेते उन्हें थाना प्रभारी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाय तथा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बैंक के निर्माण तथा आधुनिकीकरण योजना में बिहार राज्य प्रायः सबसे पिछड़ा हुआ है जिसके कारण इस योजना का कोई लाभ अभी तक काण्ड के उद्भेदन तथा अपराधों पर नियंत्रण के लिए नहीं हो पाया है। आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी उप-महानिरीक्षक, तथा क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक स्वयं इस विषय की संभारता को समझे तथा भारत सरकार तथा राज्य सरकार की चिन्ता से अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी गहराई से अवगत करायें।

26/9/88  
गोपनीय भूषण महाराज

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,  
बिहार, पटना।

क्रमांक 720  
30-3-85/50

महानिदेशक एवं आ0म0नि0 का कार्यालय,  
बिहार, पटना, दिनांक 26/9/1988

प्रति: उप सभी प्रदेशीय आ0म0नि0/आरक्षी महानिरीक्षक विशेष शा  
अपराध अनुसंधान विभाग/रैलवे, बिहार, पटना/तभी क्षेत्रीय आ0म0नि0/आ0म0नि0  
रैलवे, बिहार, पटना/तभी आरक्षी अधीक्षक रैल सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रिया  
प्रेषित।

26/9/88  
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,  
बिहार, पटना।

18  
25

18  
25

13  
29

पत्रिका/25/9/86

पत्रिका/25/9/86  
पत्रिका/25/9/86

पत्रिका/25/9/86

पत्रिका/25/9/86

पत्रिका/25/9/86